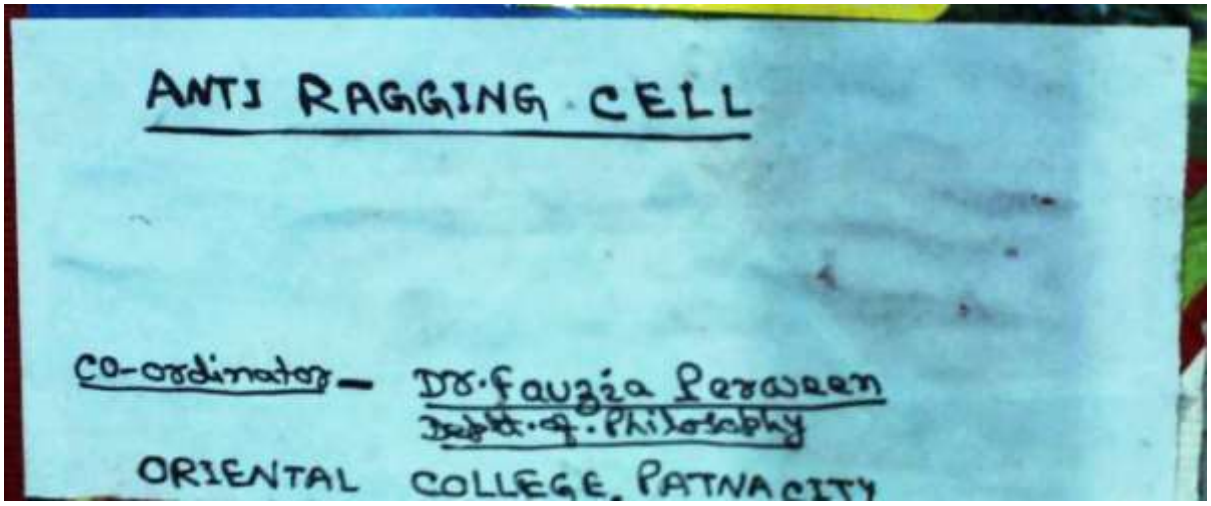
ANTI RAGGING CELL
Co-ordinator –
Dr. Fauzia Perween
Deptt. of Philosophy
ORIENTAL COLLEGE, PATNA CITY

ओरियंटल कॉलेज, पटना सिटी

ANTI RAGGING CELL

CONVENOR:-

DR. FAUZIA PERWEEN

Notice 25.5.18

A meeting of Anti-ragging cell is going to be held on 28-05-2018 in the meeting room adjacent to Principal chamber. The following members are requested to attend the meeting

1- Dr. S. E. Afzal Principal

2- Dr. Rabban Ali Vice Principal

3- Dr. S. Shahid Ahmad Convenor

4- Dr. Naqui Mohammad

5- Mr. Mohd. Aftab H.A.

The meeting shall be held at 12-00 Noon

Convenor

Recommendations

The meeting of Anti-ragging cell was held on 28.05.2018 at 12.00 noon under the chairmanship of Principal. The following suggestions were made to College administration to prevent ragging in College Campus.

1. It was recommended that some placards at various places through NSS depicting that ragging is a crime and it is strictly prohibited in the Campus.
2. It was also recommended that a declaration from guardians of admitted Students be added to the prospectus of the College. The guardian shall declare that their wards shall not participate in any type of unlawful activity and will refrain from ragging while Completing their Course.

The meeting came to a close with thanks to chair.

28.05.18

Notice

3.7.18

सभी छात्र-छात्राओं और Anti Ragging Cell के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक-7.7.18 को कमरा न० 3 (इब्राहिम ब्लॉक) समय: 11:30 में एक व्याख्यान जिसका शीर्षक है:- "Ragging Do's & Don't for College Fresher's" पर दिया जायेगा। जिसके लिए H.O.D Psychology (Dr. Bakhteyar Fatmi (OC.P.C) को आमंत्रित किया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसे सफल बनायें।

संयोजक-

Fauzia Perveen
3.7.18

1. Dr. S.E. Afzal (Principal) — [signature]
2. Dr. Rabbani Ali (V. Principal) — [signature]
3. Dr. S Shahid Ahmad (Convenor) — [signature]
4. Dr. Naque Mohammad — Naque M
5. Dr Fauzia Perween — Fauzia
6. Mr. Md. Aftab (H.A)

प्रस्तावना

दिनांक: 7.7.18 को इस्लामिया कॉलेज के कमरा नं०-4, में एक व्याख्यान प्रस्तुत हुआ। जिसका शीर्षक "Do's & Don't for college Fresher's" है। मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डा० बख्तियार फातमी (ओ०सी०-पी०सी०) ने दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी कॉलेज में रैगिंग की शुरुआत कैसे हुई। उनका मानना है कि किसी भी कॉलेज का पहला दिन; उस कॉलेज के वरिष्ठ छात्रों से नये छात्रों की प्रथम भेंट और एक दूसरे को जानने एवं परिचय प्राप्त करने का अवसर होता है। पहले वरिष्ठ छात्र अपने नये छात्रों से उनका नाम, पता, हॉबी पूछकर एक दूसरे से परिचित होते थे। बाद में कुछ शरारती छात्रों द्वारा हल्के-फुल्के मज़ाक में बदलने लगा, जैसे- गाना गाना, डांस करना, किसी नेता या अभिनेता की नकल करवाना, या सारे लड़के का हेयर कट (मिलट्री कट) हो, या छात्राएं बालों में रिबन लगाकर चोटी बाँध कर आयें। इत्यादि। यहाँ तक सब सामान्य चल रहा था।

लेकिन छात्रों की भीड़ में कुछ अपराधी मानसिकता वाले भी होते हैं। उन्होंने अपने जूनियर छात्रों से उठक-बैठक करवाना, मैदान के 20 चक्कर लगवाना, थप्पड़ मारना तक को रैगिंग के नाम पर शुरू कर दिया। बात यहीं रुकी नहीं बल्कि वरिष्ठ छात्र अपने जूनियर छात्रों को कालेज परिसर या हॉस्टल रूम में अकेले बंद कर देना, जबरन नशा करवाना और निर्वस्त्र भी कर देते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि नये छात्र जो तुरंत [illegible] बारहवीं पास कर स्कूल के नियंत्रित अनुशासित वातावरण से आये हुए होते हैं, वे इन हरकतों से परेशान हो जाया करते हैं। नये छात्र वैसे भी कालेज के नये माहौल से डरे हुए रहते हैं। T.V, News एवं फिल्मों द्वारा रैगिंग के सम्बन्ध में तरह तरह की जानकारी भी प्राप्त किये हुए रहते हैं, खास कर हिन्दी सिनेमा में कालेज का वातावरण रैगिंग को बढ़ावा देने एवं मारपीट की घटना को उकसाने वाला होता है।

डा० फातमी ने छात्रों से अनुरोध किया कि जूनियर St. रैगिंग जैसी स्थिति करने से बचें। अगर वह ये सोचते हैं कि इससे जूनियर St. डरेंगे और उनका सम्मान करेंगे तो यह विचार गलत है। आप अपने जूनि-

-यर की मदद करके कालेज के Laws & rules बताकर अपने Guideline देकर अधिक सम्मान प्राप्त कर सकते हैं।

डा० बख्तियार सर ने बताया कि ragging का Psychological भी कुप्रभाव पड़ता है। ragging की वजह से किसी छात्र का व्यक्तित्व एवं व्यवहार सदैव के लिए कुंठित हो जाते हैं। और यह मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव उनके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं।

अपने भाषण के अंत में फातमी सर ने अपील की, "कालेज के वातावरण को स्वच्छ एवं सरल बनाये रखने में Senior St. आगे बढ़कर मदद करें। अपने जूनियर के लिए आदर्श बन उन्हें गले लगाएं। उनके अनुसार- "किसी के टांगो के खींचने से बेहतर है उसके हाथों को खींचो"।

सभा के समापन में convenor Dr. Shahid Ahmad ने डा० फातमी को उनके बहुमूल्य समय निकाल कर छात्रों को एक महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान देने पर धन्यवाद दिया। सभा में उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिका को भी धन्यवाद कहा। उन्होंने छात्रों से कहा कि नये सत्र में नये छात्र-छात्राओं से आप सभी का व्यवहार बहुत अच्छा रहे, ताकि हमारा महाविद्यालय

का नाम हमेशा उज्ज्वल रहे।

फ़ातिमा बख़्तियार
7/7/18

Notice

Dt. 3-4-2019

नये सत्र के आरंभ से पूर्व 6.4.19 "Ragging :- A Crime" नामक शीर्षक पर Dr. John Zaidi (H.O.D Sociology, O.C.P.C) के द्वारा हाल नं० - 1 समय :- 11:30 को एक महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया जायेगा।

आप सभी छात्र-छात्राओं, Anti ragging cell के सदस्य एवं शिक्षकगण को इस सभा में उपस्थित रहने का आग्रह किया जाता है।

संयोजक
Fauzia
3.4.19

Member's name

1. Dr. S. Iqbal Afzal (Principal)
2. Dr. Shamim Ahmad (Eng)
3. Dr. Shakil Ahmad (Urdu) S. Ah
4. Dr. Fauzia Perween (Convener) Fauzia

प्रस्तावना

दिनांक 6/4/2019 को कमरा०-1 में समय 11:30 का Dr. John Zaidi (H.O.D, Sociology, O.C.P.C) के द्वारा Ragging :- A Crime पर एक व्याख्यान दिया गया। उन्होंने अपने लेक्चर की शुरुआत करते हुए कहा कि कुछ महीनों बाद New Academic Session शुरू होने वाला है। आप नये छात्र से वरिष्ठ छात्र बन जायेंगे, और नये सत्र में नये-नये छात्र छात्राएँ आयेंगे। परम्परा के अनुसार नये और पुराने छात्रों का मिलन होता है। जो आज के समय में एक सुखद अवसर न होकर एक अपराधिक व्यवहार के रूप में सामने आया है। बीते हुए सालों में ragging कालेज के वातावरण एवं छात्र-छात्राओं के लिए एक अभिशाप बन गया है लगातार News & T.V पर ये खबरें आती रहती है कि नये छात्र पुराने छात्रों के ragging होने की वजह से कालेज छोड़ दिया, या कुछ ने तो आत्महत्या भी कर ली।

उन्होंने बताया कि इतनी वारदात के बाद सुप्रीमकोर्ट ने 25 March 20019 में "Anti-

ragging law बनाया और इसे अपराधिक कर्म कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने UGC को यह आदेश दिया कि वह कालेज, विश्वविद्यालय में एक Anti-ragging committe बनाए। कालेज में एक anti ragging Squad हो। जो बैनर, होल्डींग तथा नोटिस बोर्ड पर इस cell से जुड़े जिम्मेदारी मेम्बर के फोन नं. लिखे हो ताकि छात्रों को जब परेशानी हो तो वह इनसे जुड़े सदस्य से मिल सके।

Dr. John ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ragging L-A crime है। इससे छात्र-छात्राओं एवं महाविद्यालय दोनों को नुकसान पहुँचता है। अगर कोई छात्र ragging करते हुए पकड़ा गया तो उसका एडमीशन रद्द हो सकता है। उसे Test व exam देने से रोक दिया जाता है। अगर exam दे चुका है तो रिजल्ट पर रोक लगाई जा सकती है। उसकी स्कॉलरशीप भी बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक उस छात्र पर 25000 हजार से एक लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है।

कालेज में ragging की वारदात हुई हो उस कालेज की मान्यता भी रद्द हो सकती है। UGC अपना grand उस

कालेज को देना बंद कर सकता है।

Sir John ने बताया कि ragging : unjustice work है। इसमें छात्र-छात्राएँ दूर रहें। उन्होंने बताया कि Senior Student anti ragging law को जानें इसको बैनर, स्लोगन द्वारा दूसरे छात्रों को भी जानकारी दें।

सभा के समाप्त होने से पहले Convenor :- Dr [illegible] ने Dr. John Zaidi को उनके बहुमूल्य विचारों को प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दिया। छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकगण को धन्यवाद देते हुए सभा की समाप्ति की घोषणा की।

(Dr. M.A. John)
H.O.D.
Sociology

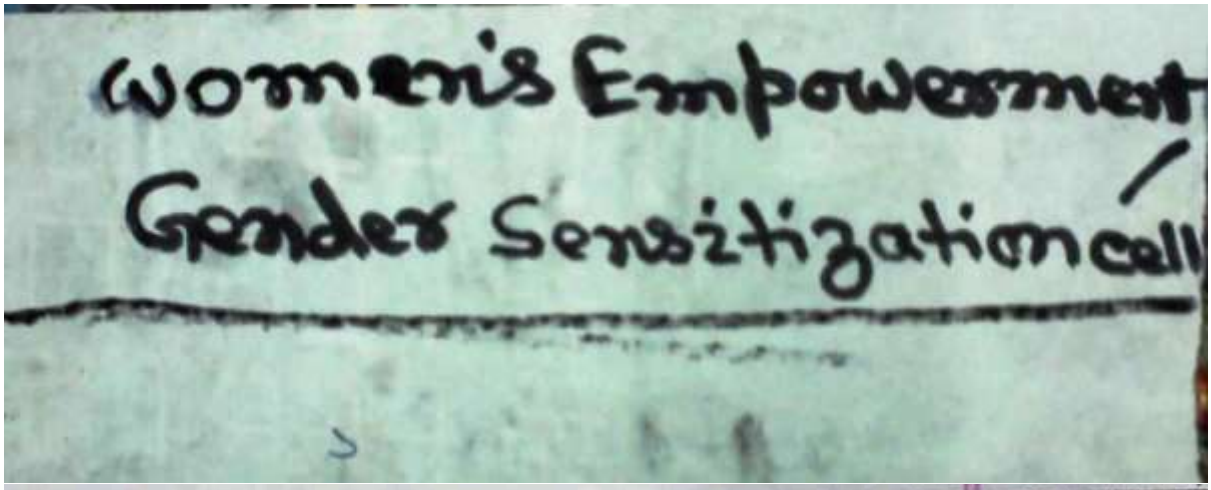

Women's Empowerment / Gender Sensitization cell

ORIENTAL COLLEGE

PATNA CITY

WOMEN'S EMPOWERMENT

JAMAL - FATMA

Convenor

Member of the Women's empowerment cell

(1) Dr Syed Eqbal Afzal chair Person
Principal

(2) Dr Jamal Fatma - Convenor

(3) Dr Fauzia Perween - Member

(4) Dr Hena Hussain - Member

(5) Dr yasmin Bano - Member

(6) Dr Sarwat Tauheed - Member

(7) Dr Seema Aziz - Member

(8) Mrs Kausar Jahan - Member

07-03-18

सूचना

महाविद्यालय के "महिला सशक्तिकरण परिषद" द्वारा कल दिनांक 8-3-2018 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जायेगा

अतः महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्राओं की उपस्थिति अपेक्षित है।

स्थान :- गर्ल्स सेक्शन

समय :- 11.00 बजे अपराह्न

Fatma
Convenor

[signature]
07.03.18

[signature]
7.3.18

Seema Aziz
7.3-18

[signature]
7-3-18

[signature]
7-3-18

[signature]
07.3.18

PINDAR, PATNA

पिन्दार

پندار

2

اورینٹل کالج میں یوم خواتین کے موقع پر پروگرام کا انعقاد

8-3-2018

प्रतिवेदन

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज दिनांक 8-3-2018 को महाविद्यालय के "महिला सशक्तिकरण परिषद" द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किये गये।

कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद की अध्यक्षा महोदया डा० जमाल फातमा द्वारा स्वागत भाषण से किया गया। उन्होंने महिलाओं की वर्तमान परिस्थिति पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा बुनियादी तत्व है। शिक्षा अपने साथ जागरूकता लाती है, इसलिये शिक्षित और सुसंस्कृत स्त्री शक्ति से देश का भाग्य बदला जा सकता है। जब तक भारत की महिलायें सार्वजनिक जीवन में हिस्सा नहीं लेंगी वे तरक्की नहीं कर सकती।

डा० हेना हुसैन के अनुसार — स्त्री समाज का आधार है, परन्तु वह समाज के कुरीतियों के बंधन से पीड़ित है। अशिक्षित, पर्दाप्रथा, बेमेल विवाह, बाल विवाह, दहेज और न जाने कितनी रीति रिवाजों से उसे जकड़ कर रख दिया है।

डा० फौज़िया परवीन ने अपने भाषण में कहा कि 24 अप्रैल 2000 को महिला सशक्तिकरण के लिये चुना गया है क्योंकि इसी दिन 73वाँ संविधान संशोधन लागू हुआ था जिसके तहत महिलाओं के लिये पंचायतों में एक तिहाई पर आरक्षण किये गये थे। आजादी के बाद महिला की स्थिति सुधारने तथा उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिये विवाह-तलाक कानून, बच्चे को गोद लेने का अधिकार, शिक्षा प्राप्ति, नौकरी और व्यवसाय में स्वतंत्रता और एक पत्नी विवाह सम्बंधी समानता के कानून देश में पारित किये गये।

मुख्य अतिथि प्रिंसपल डा० अकबाल अफजल ने अपने भाषण में कहा कि आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम दुनिया में आया तो उसी समय औरतों के मुकाम को ऊँचा किया गया क्योंकि इसलाम से पहले लड़कियों को दफन कर दिया जाता था।

इसके अलावा डा० रब्बान अली, डा० बी कुमारी, दुर्गा भवानी, सीमा अर्जोज ने अपने अपने विचार को प्रकट किया।

संगोष्ठी के समापन में डा० फौज़िया परवीन ने इन सभी को धन्यवाद दिया जो इस संगोष्ठी में आये थे विशेष कर प्राचार्य जनाब सैयद अफजल और उपप्राचार्य महोदय डा० रब्बान अली को जो इतने कम समय में एक ही आवाज पर चले आये।

Principal

Convenor

05-07-2018
Time 11. A. M.

सूचना

महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं छात्र, छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय के हाल नं० - 1 में दिनांक 05-07-2018 को एक गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसका विषय है — "घरेलू हिंसा" - जिसकी मुख्य प्रवक्ता श्रीमती डॉ० मंजू दूबे होगी।

अतः सभी छात्र / छात्राओं के इस गोष्ठी में उपस्थित होना अनिवार्य है।

आदेशानुसार
Fatma

Aena 05/07/18
Seema 5/7/18
Fauzia 5.7.18
5/7/18
Kausar Jahan 5/7/18
5/07/18

7.7.2018

Report

दिनांक 7.7.18 को कॉलेज के परिसर के अन्तर्गत (छात्रा खंड) में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक है "घरेलू हिंसा"। संगोष्ठी की शुरुआत डा० जमाल फातमा के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने बताया कि हिंसा क्या है। अहिंसा का आभाव हिंसा है। जैसे देवता के साथ राक्षस, पुण्य के साथ पाप है उसी तरह हिंसा के साथ हिंसा है। अर्थात हिंसा का सम्बंध हमारे मन से है। हिंसा का प्रदर्शन हमारे मन, वचन तथा शारीरिक क्रिया द्वारा होता है। इसमें सबसे अधिक हानिकारक हिंसा शारीरिक हिंसा है जो एक मनुष्य के विरुद्ध दूसरे मनुष्य पर खुला हुआ अत्याचार है जो कि शारीरिक रूप से उस पर जानबुझ कर किया गया है। इसमें अत्याचार करने वाले की इच्छा जरूर शामिल होती है। उसका आदर्श दूसरों को शारीरिक कष्ठ पहुँचाना होता है।

पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष
प्रो० डा० मंजू दूबे जो इस संगोष्ठी की

मुख्य अतिथि हैं। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुये कहा कि हिंसा का सबसे विनाशकारी रूप "घरेलू हिंसा" है। घरेलू हिंसा एक ऐसी हिंसा है, जिसमे व्यक्ति का जीवन, सुख-शान्ति तथा परिवार बिखर जाता है। घरेलू हिंसा एक व्यापक रूप से विस्तृत हिंसा है जिसके चपेट में अनपढ़ से लेकर बुद्धिजीवी, गाँव से लेकर महानगर तक आते हैं। इसके सबसे ज्यादा शिकार महिलायें होती हैं। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं पर हिंसा करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है।

डा० सीमा अजीज ने बताया कि स्त्री के साथ जुड़े दान और दहेज ने घरेलू हिंसा को बढ़ाने में मदद की है। परन्तु दहेज निवारक अधिनियम 1961 में पारित कर कुछ हद तक इस हिंसा पर लगाम लगाया।

संगोष्ठी के समापन पर डा० फौजिया परवीन ने कहा कि घर ही नही बाहर भी स्त्री स्त्री के लिये अत्याचार एवं हिंसा कदम कदम पर बाँहे पसारे खड़ी है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लूटपाट, अपहरण एवं छेड़खानी यह सब शायद स्त्रियों का नसीब बन चुका है।

डा० दुर्गा भवानी ने संगोष्ठी में शामिल डा० मंजु दुबे, प्राचार्य तथा उपप्राचार्य के साथ डा० हेना हुसैन, डा० फौजिया परवीन, डा० यासमीन, डा० फरहत जबी, डा० सरवत तौहीद, डा० आफरीन सायरा को इस संगोष्ठी को सफल बनाने के लिये धन्यवाद दिया।

M Dubey 7/3/18

Principal | Chief Guest | Convenor

6-10-18

सूचना

महाविद्यालय के सभी शिक्षक गण एवं छात्, छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय के हाल नं० 4 में दिनांक 10-10-18 को एक गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसका विषय है ——
"महिलाओं की उन्नति"

अतः सभी छात् एवं छात्राओं को 12 बजे दिन में हाल में उपस्थित होना अनिवार्य है।

प्राचार्य

आदेशानुसार
Fatma

6-10-18

6/10/18

06/10/18

06/10/18

6.10.18

प्रतिवेदन

10-10-18

10.10.18 को हाल नम्बर चार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में प्राचार्य और उप-प्राचार्य के साथ साथ छात्र एवं छात्राएँ भी सम्मलित हुई। संगोष्ठी की आयोजक डा० जमाल फातमा ने महिलाओं की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुऐ कहा कि देश एवं राष्ट्र की उन्नति का दारोमदार स्त्री जाति पर टिका हुआ है क्योंकि वह पुरुष के एकांकीपन को मिटाकर उसे पूर्ण बनाती है। उन्होंने ज्ञानी सम्राट अरस्तू के कथन को दोहराते हुऐ कहा कि "स्त्री की उन्नति अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर है।

प्राचार्य महोदय डा० सैयद इकबाल अफजल ने कहा कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही महिलाओं की दशा में परिवर्तन शुरू होने लगा है। उन्हें आधी आबादी के रूप में सम्मान मिलने लगा है। हर जगह सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

इसके बवजूद महिलाओं को अपने अन्दर बदलाव लाना होगा और सरकार ने जो समानता दी है उसे लेने की का प्रयत्न करना होगा। अपने अधिकार को पहचानना होगा।

डा० सरवत तौहीद ने बताया कि महिलायें जो परम्परा और रूढ़ि की जंजीरें में बंधी थी वह तोड़ चुकी हैं।

डा० यासमीन बानो के अनुसार शिक्षा के द्वारा महिलायें वकील, डाक्टर, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, प्रोफेसर और पायलट हैं। उनकी उड़ान चाँद तथा अंतरिक्ष तक है।

डा० फौजिया परवीन ने आने वाले शिक्षकगण, छात्र छात्राओं को धन्यवाद दिया और कहा कि शिक्षा और कानूनी अधिकार मिलने से ~~समाज~~ महिलाओं का समाज में उनका रुतबा बढ़ा है। लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। शिक्षा के कारण ही महिलायें पुरुषों से आगे निकल रही हैं।

Principal

Convener

NOTICE

21.01.2019

सभी शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 24.01.2019 को इब्राहिम ब्लाक रूम न० 1 में 11.00 बजे "राष्ट्रीय बालिका दिवस" विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है।

प्राचार्य

आदेशानुसार

convenor

डा० फौज़िया प्रवीण

डा० हेना हुसैन

डा० यासमीन बानो

डा० सरवत तौहीद

डा० सीमा अज़ीज़

श्रीमती कौसर जहाँ

24.1.19

REPORT

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन रब्बानिया ब्लाक में किया गया। समारोह की शुरूआत आयोजक डॉ॰ जमाल फातमा के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने बताया कि बालिका दिवस की शुरूआत संयुक्त राष्ट्र ने किया। 19 December 2011 को U.N.O ने निर्णय लिया था कि हर साल 11 October को अन्तराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाये। 24 जनवरी 2018 से प्रधान मंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पूरे देश भर में मनाने का फैसला किया। इस दिन की शुरूआत बालिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के मकसद से की गई है।

इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुये डॉ॰ फौज़िया परवीन ने कहा कि बालिकायें मानव जीवन एवं संस्कृति की जड़ है। समाज में उसका महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण स्थान है। अगर बालक से वंश की वृद्धि होती है, तो बालिकाओं से वंश का आरंभ होता है।

डॉ॰ हेना हुसैन ने बताया कि बेटी के बिना घर उसी तरह सुना लगता है जिस तरह फूलवारी बिना फूल के। बेटी प्रकृति की अनुपम देन है। वह घर की शोभा तथा रौशनी होती है।

प्राचार्य डॉ॰ सैयद इकबाल अफज़ल ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुये कहा कि सरकार ने बहुत सी योजनायें बनाई हैं जो बालिकाओं की रक्षा एवं सहयोग के लिये लाभदायक हैं।

1. लाडली लक्ष्मी योजना
2. भाग्य श्री योजना
3. सुकन्या समृद्धि योजना
4. धनलक्ष्मी योजना
5. मुख्य मंत्री सुश्रु लक्ष्मी योजना
6. लाडली बेटी योजना
7. कन्या विवाह योजना
8. बेटी है अनमोल योजना
9. गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम
10. बाल रक्षक योजना

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने छात्रवृत्ति योजना तथा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना बनाई। तथा मुख्य मंत्री ने बिहार में कन्या उत्थान योजना को शुरूआत 19 अप्रैल 2018 से किया की। इसके अलावा "बेटी बचाओ बेटी पढाओ" जैसी स्कीम को लागू किया, जिसके तहत कोई भी गरीब के बच्चों के पढ़ने में रूकावट नहीं होगी।

डॉ॰ फरहत जबीं के अनुसार जब एक लड़के को शिक्षा मिलती है तो भारत का एक नागरिक शिक्षित बनता है। मगर जब एक लड़की को शिक्षा मिलती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित बनता है।

कार्यक्रम का समापन डॉ॰ सीमा के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं को उनके बहुमूल्य समय देने तथा सभा को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया।

Principal

Convenor
Fatma

7.3.19

सूचना

महाविद्यालय के महिला सशक्तिकरण परिषद द्वारा कल 8-3-2019 को अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक परिचर्चा होगी जिसका Topic है — "Status of muslim Women in Current Scenario"

अतः महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं की उपस्थिति अपेक्षित है।

स्थान — गर्ल्स सेक्शन

समय — 11.00 बजे अपराहन

आदेशानुसार

Fatma

7.3.19

Seema Aziz

7-3-2019

Sarwat Tauheed

7.3.19

Fauzia 7.3.19.

Durga 07.3.19

Hena 07/03/19

Tauseef Ahsan N'Ezami

07.3.19

I Proud! Yasmin Bano
08/03/19
08.03.19

Report 08-03-19

08-03-2019 को women's Day के अवसर पर एक परिचर्चा हुई जिस का Topic था Status of Muslim Women in Current Scenario.

प्रोग्राम के शुरुआत से पहले जमाल फातमा ने Principal, Vice Principal को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और अपने भाषण में बताया कि आज औरतें हर मैदान में अपना एक स्थान बना रही हैं। मुस्लिम लड़कियाँ भी इससे पीछे नहीं हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हम पुराने विचार की वजह से बहुत पीछे हैं। जो औरतें बाहर निकल कर काम करती हैं उसे लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। कुछ माँ बाप अपनी लड़की को इस लिये ज्यादा नहीं पढ़ाते क्योंकि उससे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से लायें। उन लड़कियों में छुपा हुआ Talent दब कर रह जाता है। अब आवश्यकता है कि अपने समाज में पुरुषों को जागरूक करें ताकि मुस्लिम औरतें भी दूसरों के मुकाबले में कम ना रहें।

डा० नेजामी ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका के न्यूयार्क में 28 फरवरी 1909 को पहला women's Day मनाया गया। इसकी बुनियाद 1908 में उस वक्त रखी गई जब हजारों औरतों ने न्यूयार्क में मार्च निकाल कर नौकरी में काम करने के घंटे कम करने की माँग रखा। इसके अलावा इन्हें अच्छी salary दी जाये और मतदान का अधिकार दिया जाये। इसी के एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी आफ अमेरिका ने उस दिन को पहला women's Day स्वीकार किया।

डा० यासमीन बानो ने अपने भावनाओं को प्रकट करते हुये कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक औरत हूँ इसके बावजूद घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी को निभा रही हूँ।

प्राचार्य डा० इकबाल अफजल महोदय ने अपने भाषण में कहा कि आज भारतवर्ष में जितने कानून हैं उसमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की गई है। आज का संविधान महिलाओं के पक्ष में है। आज औरतें हर क्षेत्र में अपना पाँव जमा रही हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अभी भी मुस्लिम लड़कियाँ बहुत पीछे हैं।

आखिर में डा० फौजिया परवीन ने सभी को धन्यवाद देते हुये कहा कि इस्लाम धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ महिलाओं को समान अधिकार मिला है चाहे वह शिक्षा हो या संपत्ति। हमेशा बराबर का दर्जा और सम्मान मिला है।

08-03-2019

08-03-2019

Principal

Convener
Fatima